

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरपीएफ अधिनियम, 1957 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 8 के साथ पठित आरपीएफ नियम, 1987 के नियम 28 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक/आरपीएफ एतद्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं।

निर्देश 47

विषय: भारतीय रेल के आरपीएफ/आरपीएसएफ कार्मिक और उनके आश्रितों को मानकीकृत और एकसमान पहचान-पत्र जारी करना।

आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को जारी किए गए पहचानपत्रों (आईडी) में एकसमानता का मुद्दा बोर्ड कार्यालय में विचाराधीन था। पता चला है कि मानकीकृत पहचान-पत्र नहीं होने की स्थिति में आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को अन्य सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए लागू सुविधाओं, जैसे रियायती हवाई यात्रा की सुविधाएं, सीपीसी की सुविधाएं आदि, प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पहचान-पत्र के डिजाइन, स्वरूप और मानकीकृत के संबंध में सुझाव देने के लिए इस मुद्दे की जांच तीन सदस्यीय समिति से करवाई गई। समिति की सिफारिशों और तदोपरांत विचार-विमर्श के आधार पर सभी आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों और उनके आश्रितों को मानक पहचानपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाते हैं-

2. सामान्य अनुदेश:

- i) आई कार्ड प्लास्टिक का होगा। इनका आकार बैंकों द्वारा जारी किए गए डेबिट/क्रेडिट कार्ड के समान होगा।
- ii) आईडी कार्ड की उपरि पट्टी का आकार राजपत्रित अधिकारियों ले लिए अलग होगा।
- iii) जीओ के आईडी कार्ड में भविष्य निधि संख्या (पीएफ नं.) दर्शाया जाएगा। जबकि अन्य रैंकों को जारी आईडी कार्ड में यूआईएन नं. दर्शाया जाएगा।
- iv) नए कार्ड जारी होने से पहले सभी पिछले आरपीएफ/आरपीएसएफ आईडी कार्ड वापस कर देने होंगे।
- v) कार्ड में बच्चों/आश्रितों के नाम नहीं लिखे जाएंगे।
- vi) बच्चों/आश्रितों को अलग आश्रित आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। आश्रितों में परिवार के सदस्य रेलवे पास नियमों के अनुसार शामिल होंगे।
- vii) रेलवे बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के आश्रित आईडी कार्ड उत्तर रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे।
- viii) आश्रित के कार्ड पर मुख्य सेवारत आरपीएफ कर्मचारी का आईडी कार्ड नं. भी लिखा जाए।
- ix) नंबर प्रयोग में कर्मचारी के चार प्रकार के विवरणों का उपयोग किया जाए। उदाहरणार्थ, यह एनआर/एलकेओ/001/1996 (जिसमें 1. रेलवे 2. मंडल 3. कार्ड का पंजीकरण संख्या, 4. कार्यभार संभालने का वर्ष शामिल है) हो सकता है।
- x) कार्डों पर कार्डधारी और हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर स्कैन किए जाएंगे।

- xi) कार्ड पर कार्ड की वैध तिथि अवश्य लिखा होना चाहिए और तैनाती में परिवर्तन होने पर कार्ड का नवीकरण किया जाएगा (यदि उसे पहले रद्द नहीं किया गया हो तो)।
- xii) सभी आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारियों से एक फोटोग्राफ और स्कैन किए हुए हस्ताक्षर के साथ आईडी कार्ड के अनुरोध प्राप्त किए जाएं। अनुरोधपत्रों को रिकॉर्ड के लिए मंडल/ज़ोनल मुख्यालयों में जारीकर्ता प्राधिकारी के पास रखा जाए। अनुरोधपत्र का प्रोफार्मा संलग्न है (अनुलग्नक I)।
- xiii) मंडलों में एएससी (मुख्यालय) और ज़ोनल मुख्यालयों में पीसीएससी के स्टाफ अधिकारी जारीकर्ता प्राधिकारी होंगे। उनकी अनुपस्थिति में, डीएससी या डिप्टी सीएससी/अपर सीएससी इन्हें जारी कर सकते हैं।
- xiv) कार्ड की सुपुर्दगी लेने से संबंधित पावती या उपयुक्त रसीद प्राप्त करने के बाद जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को ही आईडी कार्ड सुपुर्द किया जाएगा।
- xv) आईडी कार्डधारी का फोटो अनिवार्यतः पोशाक में बिना टोपी का होना चाहिए। यह स्पष्ट और नवीनतम फोटोग्राफ होना चाहिए।
- xvi) नीचे विनिर्दिष्ट किसी भी मामले में बल के किसी कार्मिक को जारी किया गया पहचान-पत्र वापस ले लिया जाएगा और जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसका निपटान करने के लिए मंडल/ज़ोनल मुख्यालय को अग्रेषित कर दिया जाएगा:-
 - (क) बर्खास्तगी, पदच्युति, सेवा से निष्कासन;
 - (ख) स्थानांतरण;
 - (ग) सेवानिवृत्त;
 - (घ) मृत्यु।
- xvii) आवेदक से नवीकरण के लिए विधिवत रूप से अनुरोध-पत्र प्राप्त करके आईडी कार्ड का नवीकरण किया जाए। नवीकरण वैधता तिथि समाप्त होने से 30 दिन पहले या 30 दिनों के भीतर किया जाए।
- xviii) नया आईडी कार्ड जारी करने के लिए सभी आवेदनपत्रों के साथ संबद्ध स्थानांतरण, पदोन्नति, पदनाम, पता में परिवर्तन से संबंधित जारी आदेश और नवीकरण के सभी मामलों के साथ पुराने आईडी कार्ड प्रस्तुत किए जाएं।
- xix) बल के कार्मिक/आश्रित द्वारा आईडी कार्ड का दुरुपयोग करने पर बल कार्मिक उत्तरदायी होगा और उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

3. गुम होने पर आईडी कार्ड की दूसरी प्रति जारी करने की प्रक्रिया:

- i) आईडी कार्ड गुम होने की स्थिति में, संबंधित आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मी द्वारा नजदीकी पुलिस थाने में एफआईआर दायर की जाएगी।
- ii) संबंधित आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मी को एफआईआर की प्रतिलिपि और आवेदन, जिसमें गुम होने से संबंधित तथ्य हों तथा आईडी कार्ड की दूसरी प्रति जारी करने के लिए अनुरोध के साथ ज़ोनल मुख्यालय/मंडल मुख्यालय में संपर्क करना चाहिए।
- iii) ज़ोन/मंडल तदनुसार संबंधित आरपीएफ/आरपीएसए कर्मी को आईडी कार्ड की दूसरी प्रति जारी करेंगे।
- iv) आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मी से इस संबंध में एक वचनपत्र लिया जाएगा कि यदि गुम हुआ मूल आईडी कार्ड उसे बाद में प्राप्त हो जाता है तो आईडी कार्ड की दूसरी प्रति तुरंत वापस कर दी जाएगी।

v) आईडी कार्ड गुम होने पर अधिकारी/कर्मचारी से निम्नलिखित जुर्माना वसूल किया जाएगा। जुर्माना रेलवे की आमदनी के साथ जमा कर दिया जाएगा-

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. पहली बार गुम होने पर | ₹200/- |
| 2. दूसरी बार और उसके बाद गुम होने पर | ₹500/- |

4. टूट-फूट के कारण आईडी कार्ड को बदलना:

टूट-फूट के कारण आईडी कार्ड के विकृत होने के फलस्वरूप विकृत आईडी कार्ड के साथ आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों के अनुरोध पर, मामले के तथ्यों और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के बाद और आईडी कार्ड जारी करने की तिथि से पांच वर्ष पूरा होने पर नया आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। यदि पांच वर्ष पूरे होने से पहले आईडी कार्ड विकृत होता है तो ₹200/- शुल्क प्रभारित किया जाएगा। यदि आईडी कार्ड उस व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर प्राकृतिक आपदा के कारण विकृत हुआ हो तो प्रभार में छूट दी जा सकती है।

5. आईडी कार्ड जारी करने के लिए अलग रजिस्टर बनाया जाए:

कर्मचारियों और आश्रितों को आईडी कार्ड जारी करने के लिए ज़ोनल और मंडल मुख्यालय में निम्नलिखित दो अलग-अलग रजिस्टर रखे जाएंगे-

- i) आरंभिक आईडी कार्ड जारी करने/आईडी कार्ड बदलने/नवीकरण करने के लिए रजिस्टर।
- ii) आईडी कार्ड गुम होने पर दूसरी प्रति जारी करने के लिए रजिस्टर।

6. पहचान पत्र का प्रारूप (अनुलग्नक II से IV):

i) अग्र भाग:

पहचान-पत्र के अग्र भाग में निम्नलिखित सूचनाएं होंगी-

- आईडी नं.
- यूआईएन नं. (सरकारी अधिकारी के लिए केवल भविष्य निधि सं.)
- कार्डधारी का नाम
- पदनाम
- जन्म तिथि
- तैनाती का स्थान (भारत सरकार/आरपीएफ/रिल/जोन)
- कार्डधारी के हस्ताक्षर
- जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
- फोटो (आकार)
- मोनोग्राम
- पुलिस का लाल/नीला निशान

ii) पिछला भाग:

पहचान-पत्र के पिछले भाग पर निम्नलिखित सूचनाएं होंगी-

- आवासीय पता
- ब्लड ग्रुप
- टेलीफोन नं.
- कन्ट्रोल नं.
- पहचान चिह्न
- कार्ड की वैधता
- अनुदेश

6(अ). रे.सु.ब./रेसुविब के सेवानिवृत्त कार्मिकों को भी पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी कर्मचारी पहचान पत्र लेना चाहता है उसे अनुलग्नक-V में दिए गए प्रारूप में आवेदन करना होगा।

पहचान पत्र की कीमत सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा वहां की जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारी को जारी किए जाने वाले पहचान पत्र का प्रारूप अनुलग्नक-II में दिया गया है।

सेवानिवृत्त कर्मचारी को जारी किए गए पहचान पत्र का विवरण जारीकर्ता प्राधिकारी को अलग से संधारित रजिस्टर अर्थात् "सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए जारी पहचान पत्र रजिस्टर" में रखा जाएगा।

7. सभी रेलें उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार बल के सभी सदस्यों और आश्रितों को आईडी कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: अनुलग्नक-I (अनुरोधपत्र का प्रोफार्मा)

अनुलग्नक - II (अन्य पदों के लिए पहचान पत्र का फार्मेट)

अनुलग्नक - III (आश्रितों का पहचानपत्र)

अनुलग्नक - IV (अधिकारियों के पहचानपत्र का फार्मेट)

सं. 2018/सिक(स्पे.)/200/16 (आईडी कार्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 12.12.2018



(अरुण कुमार)

महानिदेशक/आरपीएफ

प्रतिलिपि:

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आरपीएफ,

सभी क्षेत्रीय रेलें, सवारी डिब्बा कारखाना, कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लि., कोर, निर्माण, अ.अ. एवं मा.सं.
और रेलवे सुरक्षा विशेष बल

निदेशक: जेआर आरपीएफ अकादमी, लखनऊ और आरपीएफ प्रशिक्षण केन्द्र, मौला-अली।

ANNEXURE- I

PROFORMA TO BE FURNISHED BY STAFF/OFFICER FOR ISSUE OF IDENTITY CARD

1. UIN No. (PF No. in case of GO) _____
2. Rank _____
3. Name _____
4. Zone _____
5. Division _____
6. Place of posting _____
7. Father's/Husbands Name _____
8. Address _____

_____ Mob. _____
7. Date of Birth _____
8. Date of appointment _____
9. Date of retirement _____
10. Blood Group _____
11. Identity Mark _____
10. Family Detail

Sl	Name of family member	DOB	Relationship	Identification Mark		

DECLARATION

I hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date:

Place:

(Signature of applicant)

Name
Rank
Present place
of posting

Prototype of Identity Card for Gazetted OfficersFront side

Ministry of Railways Railway Protection Force Railway Board			
ID No. RB/DL/01/2012			
 	Name	:	
	Designation	:	
	P.O.P.	:	Rail Bhawan
	D.O.B.	:	
	PF. No.	:	
			Issuing Authority _____

Back side

<u>RESIDENTIAL ADDRESS</u>	
Phone No.	:
Blood Group	:
ID Mark	:
Valid Upto	:
<u>INSTRUCTIONS</u> Please surrender on transfer / retirement If found please return to the nearest Police Station or Office.	

Prototype of Identity Card for other ranksFront side

	
Indian Railways Railway Protection Force Northern Railway ID NO. NRDEL/115/1100	
	Name : GULJAR SINGH
	Designation : INSPECTOR
	P.O.P. : SCNL RB
	D.O.B. : 30.05.1968
	UIN. NO. : NR960025
Issuing Authority	

Back side

<u>RESIDENTIAL ADDRESS</u> 24-A, Tilak Bridge Railway Colony Near Pragati Maidan, New Delhi	
Mob. No.	: 9968166266
Blood Group	: AB+
ID Mark	: A Cut on Right Side Check
Valid Upto	:
<u>INSTRUCTIONS</u> Please surrender on transfer / retirement If found please return to the nearest Police Station or Office.	

Prototype of Identity Card for dependentFront side

 IDENTITY CARD FOR DEPENDENTS OF SERVING RPF PERSONNEL	
IDENTITY CARD NO.	
Name	:
Date of Birth	:
Relationship with Personnel	:
Stamp & Signature of Issuing Officer	

Back side

Identification Marks	:
Name and Rank of Personnel	:
UIN/PF No.	:
Railway/Division	:
Entitlement 1. Travel in Indian/Jet Airlines on 50 % concession 2. CPC/RPF Canteen Facilities	
INSTRUCTIONS Please surrender on transfer / retirement If found please return to the nearest Police Station or Office.	
Signature/Left Thumb Impression of Card Holder	

PROFORMA TO BE FURNISHED RETIRED PERSONNEL FOR ISSUE OF IDENTITY CARD

1. PPO NO _____
2. Designation (at the time of retirement) _____
3. Name _____
4. Zone _____
5. Division _____
6. Last place of posting _____
7. Father's/Husbands Name _____
8. Address _____

_____ Mob. _____
7. Date of Birth _____
8. Date of appointment _____
9. Date of retirement _____
10. Blood Group _____
11. Identity Mark _____

DECLARATION

I hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date:

Place:

(Signature of applicant)

Name

Designation (at the time of retirement)

Last place of posting